

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक - प0नि0वि0/07-योजना-18/2025 - 4798(3)

दिनांक - 18/12/2025

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिन्नु रांची।

विषय:- पथ प्रमण्डल, देवघर अंतर्गत "हिण्डोलावरन से कुण्डा पथ के चैनेज 10वें कि0मी0 में लोकल नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य (पहुँच पथ निर्माण सहित)" हेतु रू0 2,15,95,950/- (रूपये दो करोड़ पन्द्रह लाख पंचानबे हजार नौ सौ पचास) मात्र के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:-

उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 2,15,95,950/- (रूपये दो करोड़ पन्द्रह लाख पंचानबे हजार नौ सौ पचास) मात्र की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस कार्य का मूल प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक-3102(S) दिनांक 07.08.25 द्वारा रू0 1,28,72,400/- (एक करोड़ अठाईस लाख बहत्तर हजार चार सौ रू0) हेतु प्रदत्त है।

3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष- "मुख्य शीर्ष-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-03-राज्य राजमार्ग, लघु शीर्ष-101-सेतु, उप शीर्ष-03-पुल, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य" के अन्तर्गत उपलब्ध बजटीय सीमा के अधीन विकलनीय होगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, देवघर होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, देवघर से की जायेगी।

5. इस कार्य को निम्न संशोधित वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगा:-

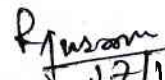
वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य
2025-26 तक आतिथि व्यय	शून्य
2025-26	रू0 108.0000 लाख
2026-27	रू0 107.9595 लाख

6. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरुद्ध राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देंगे।

8. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

9. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/07-योजना-18/2025 -4798(6)

दिनांक- 18/12/2025

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता (याता0) पथ निर्माण विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।
3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।
4. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

R. Kumar
17/12/2025

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/07-योजना-18/2025 -4798(5)

दिनांक- 18/12/2025

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ आयुक्त, संचालपरगना प्रमंडल, दुमका/उपायुक्त, देवघर/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव (प्र0) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अपवेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रशाखा-12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Kumar
17/12/2025

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/07-योजना-18/2025 -4798(5)

दिनांक- 18/12/2025

प्रतिलिपि :- प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

R. Kumar
17/12/2025

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक- प0नि0वि0/07-योजना-18/2025 -4798(5)

दिनांक- 18/12/2025

प्रतिलिपि :- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई-मेल (E-mail) से भेजने एवं ई-प्रोक्वोरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को वेबसाइट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

R. Kumar
17/12/2025

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।